[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2025 का विधेयक संख्या 8 एच०एल०ए०

कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2025

कीटनाशी अधिनियम, 1968 को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम कीटनाशी (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 29 की उप–धारा (1) के उप–खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:– 1968 के केन्द्रीय अधिनियम 46 की धारा 29 का संशोधन।

"(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो तीन लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ;

(ii) द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो तीन लाख रूपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

कीटनाशी अधिनियम, 1968 मानवता या पशुओं के जोखिम को रोकने की दृष्टि से कीटनाशी के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण तथा उपयोग को विनियमित करने तथा इससे सम्बन्धित मामलों के लिए अधिनियमित किया गया है।

यह ध्यान में आया है कि बहुत से विनिर्माता, व्यापारी तथा विक्रेता मिथ्या छापवाले कीटनाशकों के विनिर्माण, विक्रय, आयात, परिवहन तथा वितरण में लगे हुए हैं। किसान ऐसे कीटनाशों को खरीदते हैं जो किसानों के धन तथा कड़ी मेहनत की हानि के परिणाम की अपेक्षा महामारी तथा बीमारी को नियन्त्रण करने का परिणाम नहीं देते हैं। वह न केवल फसल उत्पादन की लागत में बढोतरी के परिणामिक हैं बल्कि फसल स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, तथा पर्यावरण के जोखिम सहित अर्थव्यवस्था की हानि के परिणामिक भी है। इसलिए हरियाणा सरकार ने मिथ्या छापवाले कीटनाशी के विक्रय को रोकने के लिए इसे उचित समझा है तथा इस प्रयोजन के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 हरियाणा राज्यार्थ की धारा 29 की उपधारा (1) के उपखण्ड (i) तथा (ii) प्रतिस्थापित किया गया है।

विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

श्याम सिंह राणा,
कृषि मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 12 मार्च, 2025.

डॉ सतीश कुमार,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 12 मार्च, 2025 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

कीटनाशी अधिनियम, 1968 से उद्धरण

XXXXXXXXXX

धारा 29 (1) .....

(i) प्रथम अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,

(ii) द्वितीय तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पंद्रह हजार रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पचहत्तर हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से।

XXXXXXXXXX

11724—H.V.S.—H.G.P.—Pkl.